बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

(1) मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनाः– इस योजना का उदेश्य गरीब परिवार को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना, बिवाह के निबंधन को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की कन्या को विवाह के समय मात्र 5000/– (रूपये का भुगतान कन्या के नाम चेक डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा करना है।

(2) मुख्य मंत्री कन्या सुरक्षा योजना :–इस योजना का उद्धेश्य भ्रूण हत्या को रोकना, जन्म निबंधन तथा कन्या जन्म को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत कन्या जन्म के समय मात्र 2000 रू0 की राशि अनुदान के रूप में यू0टी0 आई0 के चिल्ड्रेन कैरियर वैलेस्ड फंड में कन्या के नाम से निवेश कर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

(3.) अंतर्जातीय विवाहः– इस योजना का उदेश्य हिन्दू समाज में व्याप्त जाति प्रथा के उन्मूलन हेतु अन्तर्जातीय विवाह करने वाली महिलाओं को प्रोत्साहन स्वरूप आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजनान्तर्गत अन्तर्जातीय विवाह करने वाली महिला को 25000 रू0 राशि का भुगतान राष्ट्रीय बचत पत्र के माध्यम से किया जाता है।

(4.) मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजनाः– मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अन्तर्गत महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक सशक्तिकरण एवं नवचारी योजना के निमित विभिन्न योजनाओं के संचालन की स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसमें अनैतिक पणन एवं घरेलू हिंसा से पीड़ित बच्चों एवं महिलाओं के लिए विशेष योजनाऐं बनायी गयी है। यथा हेल्पलाईन, संरक्षण गृह, अल्पावास गृह ,पालनघर विवाह, राज्य महिला सूचना एवं संसाधन केन्द्र तथा महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों का गठन, पोषण तथा क्षमता निर्माण आदि।

(5.) किशोर न्याय संबधी कार्यः– किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) के अर्न्तगत राज्य में दो उत्तर रक्षा गृह, पटना एवं मुज्जफरपुर में एक विशेष गृह पटना में, तथा 10 पर्यवेक्षण गृह यथा दरभंगा, छपरा,गया, भागलपुर

,मुज्जफरपुर ,आरा,पूर्णिया, बेतिया,पटना,मुंगेर जिलों में एवं दो बाल गृह पटना एवं बेगूसराय तथा एक बालिका गृह (निशांत) पटना में संचालित किया जा रहा है। राज्य के 38 जिलों में किशोर न्याय परिषद की स्थापना की गयी है।

वस्त्र वितरण कार्यक्रमः– इस योजना का उदेश्य समाज के असाह एवं वंचित वर्ग के सदस्यों को कम्बल का मुप्त वितरण के माध्यम से राहत पहुँचाना है। लाभार्थी को राज्य के निवासी होना चाहिए।

(6.) मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजनाः– इस योजना का उदेश्य विकलांगजनो को टिकाउ,सुविकसित एव मानकीकृत कृत्रिम अंग एव उपकरण प्राप्त कराना है। इस योजना के लाभ लेने हेतु संबंधित जिला के सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग से संर्पक किया जा सकता है । 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता से संबंधित विकलांगता प्रमाण पत्र एवं जिनकी वार्षिक आय एक लाख से कम हो उन्हे इस योजना के तहत तिपहिया साईकिल , व्हील चेयर,श्रवण यंत्र बैशासी कैलीपर आदि उपकरण तथा अंग प्रदान किया जाता है।

(7.) सामेकित बाल विकास योजनाः– इस योजना के अन्तर्गत 6 वर्षो के आयु के बच्चो, गर्भवती/शिशुवती महिलाओं/किशोरी बालिकाओ को ग्राम स्तर पर स्थापित आंगनबाड़ी केन्द्रो के माध्यम से 6 सामेकित सेवायें यथा–पूरक पोषाहार,स्कूल पूर्व शिक्षा, स्वास्थ जॉच, संदभित सेवा , प्रतिरक्षीकरण एवं पोषाहार स्वास्थ शिक्षा उपलब्ध करायी जाती है। इसका संचालन राज्य स्तरीय आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, 38 जिला स्तरीय आई0सी0डी0एस0 कोषांग एवं 544 बाल विकास परियोजना कार्यालय, 90000/– आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से किया गया है।

(a) पूरक पोषाहार कार्यक्रमः– राज्य के कुल 544 बाल विकास परियोजनाओं में 91677, आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत है। जिनके माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को प्रति केन्द्र 6 माह से 6 वर्ष तक के 40 वच्चों 16 गर्भवती/शिशिवती महिलाओं 28 कुपोशित, अति कुपोशित बच्चों एवं 3 किशोरी बालिकाओं को माह में 25 दिनों तक 4.00 रू0 प्रति बच्चा प्रतिदिन 5.00 रू0 प्रति महिला (गर्भवती/शिशुवती) प्रति बालिका प्रतिदिन एव 6.00 रू0 प्रति बच्चा (अतिकुपोषित) की निर्धारित दर से पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जाता है। प्रतिमाह के 15 वीं तारिख को (T.H.R.) का वितरण किया जाता है। अब लाभूक पूरे माह के लए एक ही दिन पोषाहार प्राप्त कर रहे है। पूरक पोषाहार के अन्तर्गत 79 लाख से अधिक बच्चें एवं महिलायें सीधे तौर पर लाभान्वित हो रहे है। वर्तमान व्यस्था के तहत

इसके लिए राशि आंगनबाड़ी सेविकाओ एव पोषाहार कियान्वयन समिति की अध्यक्ष के संयुक्त खाता में भेजी जाती है। दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से राशि की निकासी कर राशन का क्रय स्थानीय तौर पर किया जाता है। इस पर होने वाले व्यय का वहन 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार तथा शेष 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

आंगनबाड़ी बच्चों के लिए पोषाक योजनाः– स्कूल पूर्व शिक्षा के सुद्वढीकरण हेतु आंगनबाड़ी केन्द्रो पर 3– 6 वर्ष के नामांकित बच्चों को राज्य सरकार ने अपने संसाधन से प्रति वर्ष प्रति बच्चा 250 रू0 की दर से पोषाक उपलब्ध कराने का एक नया अध्याय प्रारंभ किया है।

(b) दुलार रणनीति योजनाः– आई0सी0डी0एस0 योजना के अन्तर्गत सामुदायिक सहभागिता को प्रभावशाली ढ़ग से सुदृढ़ करने हेतु यूनिसेफ के सहयोग से राज्य के सभी 38 जिलों में दुलार रणनीति योजना को मूर्त्त रूप दिया जा रहा है।

(c) एन0पी0ए0जी0 (राज्य योजना) :– राष्ट्रीय पोषाहार अभियान के तहत राज्य के दो जिलों यथा– गया एवं औरंगाबाद को सम्मिलित किया गया है। आंगनबाड़ी नेटवर्क के माध्यम से समाज के अत्यन्त कमजोर वर्ग के परिवार की कुपोषित (35 किलो से कम वजन वाली) किशोरी बालिकाओं को प्रतिमाह 6 किलों अनाज उपलब्ध कराया जाता है।

(8.) मुख्यमंत्री निःशक्तजन शिक्षा ऋण योजनाः– 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता से प्रभावित व्यक्ति जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 2.00 लाख रूपया तक शहरी क्षेत्र/ 1.60 लाख ग्रामीण क्षेत्र में हो उन्हे मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उच्च शिक्षा हेतु 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के दर से अधिकतम 5. 00 लाख तक ऋण दिये जाने का प्रावधान है। ऋण अदायगी 20 किस्तों में करनी होगी । इस योजना के लाभ लेने हेतु प्रवंध निदेशक बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम से संर्पक किया जा सकता है।

(9.) मुख्यमंत्री निःशक्तजन स्वरोजगार ऋण योजनाः– 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता से प्रभावित वैसे व्यक्ति जिनकी परिवारिक वार्षिक आय 2. 00 लाख रू0 शहरी क्षेत्र/1.60 लाख रू0 ग्रामीण क्षेत्र में हो तथा जिनकी आयु 18 से 65 के बीच में हो उन्हे स्वरोजगार हेतु 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से अधिकतम 1.5 लाख ऋण दिये जाने का प्रावधान है। ऋण अदायगी 20 किस्तों में करनी होगी। इस योजना के लाभ लेने हेतु प्रवंध निदेशक, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम एव संबंधित जिले के सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग से संर्पक किया जा सकता है।